संख्या-286/2025/1702/22-2-2024-17(460)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार मिश्रा पुत्र श्री देवी प्रसाद मिश्रा, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-30380/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-03.10.2024), दिनांक 08.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी-प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा, निवासी-कमासी, थाना-जाफरगंज, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 24.10.2004 को लक्ष्मी देवी उम्र लगभग 07 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया तथा घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-251/2005, भा0द0वि0 की धारा-376, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 फतेहपुर के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2021 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी ने दिनाँक 14.09.2024 तक 19 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 08 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,2000 क्रि0एल0जे0-1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनाँक 02 नवम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्था के प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी पवन कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में बन्दी द्वारा दिनाँक 24.10.2004 को लक्ष्मी देवी उम्र लगभग 07 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया तथा घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार मिश्रा (बन्दी संख्या-4313/2006) पुत्र श्री देवी प्रसाद मिश्रा, निवासी जनपद-फतेहपुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-286/2025/1702(1)/22-2-2024-17(460)/2024,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-286/2025/1702/22-2-2024-17(460)/2024

दिनांकः 21 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी-प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा, निवासी-कमासी, थाना-जाफरगंज, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 24.10.2004 को लक्ष्मी देवी उम्र लगभग 07 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया तथा घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-251/2005, भा0द0वि0 की धारा-376, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 फतेहपुर के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2021 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी ने दिनाँक 14.09.2024 तक 19 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 08 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनाँक 02 नवम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्था के प्रक्रिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी पवन कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में बन्दी द्वारा दिनाँक 24.10.2004 को लक्ष्मी देवी उम्र लगभग 07 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया तथा घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in